



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213  
Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

क्रमांक: हि०शि०बो०(19)संचालन-1/Partfile/No.23/Vol-II/ 25902-930

दिनांक: 7/10/2021

अधिसूचना

अधिसूचित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा नवम्बर/दिसम्बर 2021 में संचालित की जाने वाली दसवीं व जमा दो कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों की Term I परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्धारित शुल्क क्रमशः ₹500/-, ₹600/- सहित बिना विलम्ब शुल्क दिनांक 11.10.2021 से 20.10.2021 तक व विलम्ब शुल्क ₹100/- सहित दिनांक 25.10.2021 तक स्वीकृत किए जाएंगे।

अतः समस्त विद्यालय अपने नियमित परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र निर्धारित शुल्क सहित उक्त तिथि तक ऑनलाईन प्रेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण कर लें। इसके उपरान्त कोई भी प्रवेश पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि/

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 7/10/2021

1. सचिव(शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002।
2. अनुभाग अधिकारी, अध्यक्ष/सचिव।
3. निदेशक, उच्चतर/प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001।
4. समस्त उप निदेशक(प्रारम्भिक/उच्चतर शिक्षा), हिमाचल प्रदेश।
5. उप-नियंत्रक, वित्त एवं लेखा/लेखा परीक्षा, हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड।
6. अतिरिक्त सचिव/समस्त संयुक्त/उप सचिव/सहायक सचिव, हि०प्र०स्कूल शिक्षा बोर्ड।
7. लोक सम्पर्क अधिकारी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड।
8. अनुभाग अधिकारी, IT Cell,, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि वह इस अधिसूचना को बोर्ड की वेबसाइट व प्रत्येक विद्यालय के school login id में अपलोड करें।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी, दसवीं एवं जमा दो, परीक्षा शाखा को समस्त विद्यालयों को इस बारे अवगत करवाने बारे।
10. समस्त अनुभाग अधिकारी/जिला प्रबन्धक/डिपो प्रभारी/हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड।
11. रक्षक संचिका।

सचिव

PC No.: 06B DA Code: 636

ज्ञानालोक परिसर, धर्मशाला जिला कांगड़ा(हि०प्र०)-176213  
दूरभाष/Tele: 01892-242....., 242....., 229037  
फैक्स/fax: 01892-225419, 222817

Gayanalok Parisar, Dharamshala Distt. Kangra(HP)-176213  
अणु डाक/e-mail : hpbose2011@gmail.com  
Website : hpbose.org



## हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213

Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

क्रमांक:हि०शि०बो०(19)संचालन 1/शुल्क निर्धारण/सारणी/2021/25851-900 दिनांक: 07/10/2021

### अधिसूचना

अधिसूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड, बोर्ड अधिनियम की धारा 19.3 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत 9<sup>th</sup>, 10<sup>th</sup>, 11<sup>th</sup>, 12<sup>th</sup> कक्षाओं की Term I, II परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्कों को निम्नप्रकार से निर्धारित करने का निर्णय लिया है:-

Sr. No.	Class	1 <sup>st</sup> Term Fees	2 <sup>nd</sup> Term Fees
1	10 <sup>th</sup> Class- Full Subjects	500	500
2	12 <sup>th</sup> Class- Full Subjects	600	600+200 (Migration fee) =800
3.	9 <sup>th</sup> Class	150	150
4.	11 <sup>th</sup> Class	150	150

उपरोक्त के अतिरिक्त 3<sup>rd</sup>, 5<sup>th</sup>, 8<sup>th</sup> कक्षाओं के परीक्षा शुल्कों को निम्न प्रकार से निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया है:-

Sr. No.	Class	Annual Fees
1.	3 <sup>rd</sup> Class	100
2.	5 <sup>th</sup> Class	100
3.	8 <sup>th</sup> Class	150

उपरोक्त निर्धारित परीक्षा शुल्क शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होंगे।

  
सचिव

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि/

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव(शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002।
2. अनुभाग अधिकारी, अध्यक्ष/सचिव।
3. निदेशक, उच्चतर/प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001।
4. समस्त उप निदेशक(प्रारम्भिक/उच्चतर शिक्षा), हिमाचल प्रदेश।
5. अतिरिक्त सचिव/समस्त संयुक्त/उप सचिव/सहायक सचिव, हि०प्र०स्कूल शिक्षा बोर्ड।
6. उप-नियंत्रक, वित्त एवं लेखा/लेखा परीक्षा, हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड।
7. अनुभाग अधिकारी, IT Cell,, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि वह इस अधिसूचना को बोर्ड की वेबसाइट व प्रत्येक विद्यालय के school login id में अपलोड करें।
8. लोक सम्पर्क अधिकारी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी, दसवीं एवं जमा दो, परीक्षा शाखा को समस्त विद्यालयों को इस बारे अवगत करवाने बारे।
10. समस्त अनुभाग अधिकारी/जिला प्रबन्धक/डिपो प्रभारी/हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड।
11. अनुभाग अधिकारी, सामान्य शाखा को इस आशय के साथ कि वह इस निर्णय को बोर्ड की आगामी बैठक में बोर्ड की संपुष्टि के लिए प्रस्तुत करें।
12. रक्षक सचिका।

